# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2025/432**

मिसलनम्बर– 66 / 2025

1.माधोलाल मीणा आयु 75 वर्ष पुत्र श्री हरदेव जी मीणा
2.श्रीमति रामकंवरी मीणा आयु 64 वर्ष पत्नि श्री माधोलाल जी मीणा निवासीगण हाउस न0 5 एफ 1 तलवंडी इन्द्रपुरा कोटा

– प्रार्थीगण

**बनाम**

1.चन्द्रमोहन मीणा पुत्र श्री माधोलाल मीणा
2.शीला मीणा पत्नि चन्द्र मोहन मीणा निवासीगण हाउस न० 5 एफ 1 तलवंडी इन्द्रपुरा कोटा

.....अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक...30.03.2026

उपस्थितिः–
1.श्री समीउद्दीन प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री दशरथ सिंह अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी न01 जो कि 75 वर्ष के है एवम प्रार्थीया न. 2 64 वर्ष की है जो दोनो पति पत्नि वृद्ध होने के साथ अक्सर बीमार रहते है प्रार्थीया न० 2 हृदय रोग से पिड़ित महिला है एवम प्रार्थीगण का कोई भी स्थायी रोजगार नहीं है।

प्रार्थी क्रम 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से खरीद शुदा मकान उपरोक्त पते पर स्थित है। जिसकी कुल साईज 17 इन्टू 35 वर्गफीट में प्रार्थीगण के तीन पुत्र है जिनमे प्रार्थी के सबसे बडे पुत्र की पत्नि नहीं होने से वह अक्सर काम के सिलसिले मे बाहर आता जाता रहता है। एवम प्रार्थीगण का दूसरा पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 व उसकी पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीगण के पास ही उपरोक्त पते वाले मकान में ही निवास करते है व प्रार्थीगण का तीसरा पुत्र भी अपने परिवार सहित उसी मकान में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निवास करता है। परन्तु प्रार्थीगण के अन्य दोनो पुत्र शांति पूर्ण तरीके से निवास करते है। परन्तु अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण को परेशान करते है तथा लडाई झगडा करते है मारपीट करते है। अप्रार्थी क्रम 2 लगभग 1 या 1 ½ साल पहले प्रार्थी क्रम 2 के कानो के टोप्स सोने के यह कहकर ले गई थी कि मैं बाहर शादी मे जा रही हूं आपके टोप्स देदो वापस आकर दे दूंगी। इस पर प्रार्थीया क्रम 2 ने अपने दोनो कानो के टोप्स उतार कर अप्रार्थीया क्रम 2 को दे दिये थे। जों कि वर्तमान मे अप्रार्थीया न02 के पास ही हैं जब अप्रार्थीया क्रम 2 शादी से वापस आई तो प्रार्थीया क्रम 2 ने अपने सोने के टोप्स वापस मांगे तो अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने लग गये इस पर प्रार्थी क्रम 1 द्वारा रोकने पर उससे भी लडाई झगडा करने लगे जो कि लडाई झगडा आज तक भी अप्रार्थीगण से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण जो कि वृद्ध एवम बीमार रहने के कारण लडाई झगडा नहीं कर सकते है गत वर्ष रक्षाबन्धन पर प्रार्थीया न० 2 को हार्ट अटेक आ गया था तब भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया न02 को न तो अस्पताल ले जाया गया और नहीं इलाज करवाया गया। अप्रार्थीगण के अलावा प्रार्थीगण के अन्य दोनो पुत्रो ने ही देखभाल करी रूपये पेसे भी प्रार्थीगण के अन्य दोनो पुत्रो ने ही लगाया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के इलाज मे न तो पेसा लगाया और नही हाथ पैरो से सेवा की। बल्कि प्रार्थीगण की वृद्धावस्था व कमजोरी का फायदा उठाकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करना और प्रारंभ कर दिया जिससे की परेशान होकर प्रार्थीगण और उस मकान में निवास करने वाले अन्य दोनो भाई भी मकान छोडकर चले जावे और अप्रार्थीगण सम्पूर्ण मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लेवे अप्रार्थी क्रम 1 जो कि अपने व्यापार से 35–40 हजार रूपये मासिक कमा लेता है एवम अप्रार्थी क्रम 2 भी प्राईवेट कार्य करके 10–15 हजार रूपये मासिक कमा लेती है तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को एक रूपया भी नहीं देते है बल्कि प्रार्थीगण ही मकान मे आने बिजली पानी के बिल का भुगतान भी करते है।

दिनांक 20–7–2025 को प्रातः अप्रार्थी क्रम 2 शीला मीना ने बिना किसी उचित कारण प्रार्थीगण से लडाई झगडा करना प्रारंभ कर दिया और अप्रार्थी क्रम 1 चुपचाप देख रहा था। अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी क्रम 2 से लडाई झगडा करते करते उसका गली दबाने लगी जिस पर वहां मौजूद प्रार्थीगण बड़े बेटे चन्द्र प्रकाश ने बीच बचाव किया तो अप्रार्थी क्रम 2 ने पुलिस थाने मे जाकर झूठी रिपोर्ट चन्द्र प्रकाश की करवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जिससे कि शांति भंग में चन्द्र प्रकाश को न्यायालय से अपनी जमानत करवानी पड़ी। अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन प्रार्थीगण से बिना किसी उचित कारण के लगातार झगडा किया जाता है और प्रार्थीगण के अन्य दोनो पुत्रो को भी यह धमकी दी जाती है कि तुम दोनो बीच मे मत बोलना वरना तुम दोनो पर भी ऐसा झूठा मुकदमा लगवाउंगी कि जमानत भी नहीं होगी। इस से प्रार्थीगण के दोनो पुत्र झगडा होने पर बीच बचाव करने से डरते है जिससे अप्रार्थीगण लगातार प्रार्थीगण पर हावी होते जा रहे है और प्रार्थीगण को सदैव अप्रार्थीगण से अपनी जान माल का डर बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण यह चाहते है कि अप्रार्थीगण को उसकी स्वअर्जित मकान न0 5 एफ 1 तलवंडी सेक्टर न० 5 कोटा से बेदखल कर दिया जावे। जिससे कि प्रार्थीगण बिना खौफ के उक्त मकान में निवास कर सके। क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भरण पोषण एवम इलाज आदि के लिये भी कोई पैसा नहीं देते है मकान के नल बिजली के बिल भी अप्रार्थीगण जमा नही करते है और ना ही उक्त मकान मे मरम्मत पुताई आदि करवाते है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से इस वृद्धावस्था मे भरण पोषण एवम इलाज आदि के लिये 3000–3000/– रूपये मासिक भरण पोषण अप्रार्थीगण से लेना चाहते है जो कि दिलवाया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण राशि प्राप्त करने हेतु व मकान खाली करवाने हेतु किसी सक्षम न्यायालय मे वाद/कार्यवाही पेश नहीं कर रखी है यह प्रथम प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थी न01 से दोनो प्रार्थीगण को प्रत्येक को 3000–3000/–रूपये मासिक भरण पोषण दिलवाया जावे तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। **अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है कि** अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता, भाईयों के साथ सकुशल निवास कर रहा था। अप्रार्थी क्रम 1 के बडे भाई की शादी होने के बाद अप्रार्थी क्रम 1 के भाई और भाभी मे मनमुटाव होने के कारण घर मे अशांति फैल गई। प्रार्थीगण आये दिन अपने बडे पुत्र के साथ मिलकर अप्रार्थी क्रम 1 के साथ लडाई झगडा करते हैं जिससे अप्रार्थी क्रम 1 को घोर मानसिक संताप पहुंचता। वर्ष 2012 में अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह अप्रार्थी क्रम 2 शीला मीणा के साथ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुआ उसके बाद से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की सार संभाल की गई अप्रार्थीया क्रम 2 पूरे परिवार का खाना बनाती और पूरे घर की देखरेख करती। अप्रार्थी क्रम 1 के छोटे भाई का विवाह नही होने के कारण प्रार्थीगण चिंतित रहते बमुश्किल अप्रार्थीया क्रम 2 ने अपने रिश्तेदारों में बातचीत करके अपने देवर का विवाह करवाया उसमे भी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपने नियोजक से 2 लाख रूपये उधार लेकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त कर अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा छोटे भाई की शादी करवाई गई शादी का सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा ही वहन किया गया था। जिससे कि छोटे पुत्र की पत्नी घर में आने के बाद दोनो भाई मिलकर अप्रार्थीगण को अलग रहने व घर से निकलने की कहते जिसमे प्रार्थीगण भी साथ देते। प्रार्थीगण अपने बडे पुत्र व छोटे पुत्र के साथ मिलकर अप्रार्थीगण को घर से बाहर निकालने की योजना बनाते हुये अप्रार्थीगण के उपर चोरी का इल्जाम लगवाया व अप्रार्थी क्रम 1 के बडे भाई द्वारा अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ मारपीट करना, अपशब्द बोलना व बच्चों के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे अप्रार्थीगण डरकर घर छोडकर चले जायें।

दिनांक 20–7–25 को अप्रार्थी क्रम– 1 के बडे भाई के द्वारा अप्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने के कारण अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा जवाहर नगर थाने में शिकायत दी गई जहां से अप्रार्थी क्रम–1 के बडे भाई चन्द्रप्रकाश मीणा को शांति भंग करने के कारण पाबन्द किया गया जो जमानत पर आजाद है। इसी कारण चन्द्रप्रकाश इसी कारण चन्द्रप्रकाश मीणा के साथ मिलकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के उपर साजिश रचते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उक्त मकान का लाईट का बिल व पानी का बिल भी अप्रार्थीगण द्वारा ही अदा किया जा रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा उक्त मकान मे एक कमरे का निर्माण करवाया गया जिसकी राशि अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने नियोजक से 2 लाख रूपये उक्त मकान मे कमरे के निर्माण के लिये उधार लेकर उक्तं कमरे का निर्माण करवाया गया था जिस कमरे मे अप्रार्थीगण निवास कर रहे हैं।

अप्रार्थी क्रम 1 पियुष सेनेट्री एवं इलेक्ट्रीकल्स की शॉप पर कार्य करता है जहां पर नियोजक द्वारा अपने लेटर हेड पर उधार ली गई रकम का हवाला देकर लिखा गया है कि जब तक अप्रार्थी क्रम 1 उधार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ली गई राशी को चुकता नही करता है तब तक उसकी तनख्वाह 8000/– रूपये ही रहेगी। अप्रार्थी क्रम 1 के परिवार मे उसकी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 व दो बच्चे हैं जिनका भरण पोषण शिक्षा का खर्चा अप्रार्थीगण के उपर ही है। अप्रार्थी क्रम 1 सेनेट्री की दुकान पर कार्य करके ही अपनी आजीविका का निर्वाह करता है उसके उपर पत्नी व दो बच्चे भी निर्भर है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 आज भी प्रार्थीगण को अपने साथ रखकर उनकी सार संभाल देखरेख करने को तत्पर है।

अतः श्रीमान की सेवा में जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। व अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो प्रदान की जावे

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज अप्रार्थी नं0 1 चन्द्रप्रकाश द्वारा उक्त मकान में कमरे के निर्माण के लिए उधार पैसे लिखित के एवं अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने मोबाईल से जमा उक्त मकान के लाईट के बिल की प्रिन्टआउट पेश की।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भरण पोषण एवं इलाज आदि के लिए भी कोई पैसा नही देते है मकान के नल बिजला के बिल भी अप्रार्थीगण जमा नही करते है और ना ही उक्त मकान में मरम्मत पुताई आदि करवाते है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि इसके विपरीत अप्रार्थीया कम 1 द्वारा अपने जवाब मे कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपने नियोजक से 2 लाख रूपये उधार लेकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त कर अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा छोटे भाई की शादी करवाई गई शादी का सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा ही वहन किया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उक्त मकान का लाईट का बिल व पानी का बिल भी अप्रार्थीगण द्वारा ही अदा किया जा रहा है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने उक्त कथन के समर्थन में मकान के लाईट एवं पानी के बिल की प्रतियॉ पेश की है। प्रार्थीगण की ओर से उक्त दस्तावेज का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया गया है। उक्त दस्तावेज यथा बिल के अवलोकन से यह उचित प्रतीत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

होता है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा ही उक्त मकान के बिजली व पानी के बिल जमा किये जा रहे है।

प्रार्थीगण की ओर से यह कथन रहा है कि अप्रार्थी क्रम 1 अपने व्यापार से 35–40 हजार रूपये मासिक एवं अप्रार्थी क्रम 2 भी प्राईवेट कार्य करके 10–15 हजार कमा लेती है जिस कारण से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को 3,000/–, 3,000/– रूपये मासिक भत्ता देने में समक्ष है। प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी क्रम 1 की आय मत्र 8,000/– है। अप्रार्थी क्रम 1 सेनेट्री की दुकान पर कार्य करके ही अपनी आजीविका का निर्वाह करता है उसके उपर पत्नी व दो बच्चे भी निर्भर है। पत्रावली में सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से अप्रार्थीगण की ओर से किये गये कथन उचित प्रतीत होते है।

प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करते है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से अपने उक्त कथन के समर्थन में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हाउस न0 5 एफ 1 तलवंडी इन्द्रपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम की भावना को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार एवं गाली–गलौच नही करे, प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करके शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित नही करे। अप्रार्थी नं0 1 को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने माता पिता को 1,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा